

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200] दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2011/अग्रहायण 18, 1933 [ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 221  
No. 200] DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2011/AGRAHYANA 18, 1933 [ N.C.T.D. No. 221

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2011

सं. फा. शि.नि. 4(2)/286/स्था. IV/2003/17900.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या फा. 27/59-एचआईएम (1) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा इस सरकार की दिनांक 28 फरवरी, 1984 की अधिसूचना संख्या फा. 2 (8)/83-से. II/9653-58 एवं दिनांक 9-8-1996 की अधिसूचना संख्या 27/1/96 शिक्षा/1141 से 1145 के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद की भर्ती पद्धति विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को शारीरिक शिक्षा अध्यापक (श्रेणी 'ख' पद) शिक्षा निदेशालय भर्ती नियमावली, 2011 कहा जाएगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता.**—ऐसा कोई भी व्यक्ति,—

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है, और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी।

6. बचाव.— इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने के लिए आरक्षण अपेक्षित आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**अनुसूची**

**शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "शारीरिक शिक्षा अध्यापक" के पद के भर्ती नियम**

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड एवं ग्रेड पे/ वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शारीरिक शिक्षा अध्यापक	1370* (2011) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय	पे बैंड-2-9300-34800 रुपये (ग्रेड पे 4600 रुपये)	लागू नहीं
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा		सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ		क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी
(6)		(7)	(8)	
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) टीप :- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब-डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब-डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।		अनिवार्य :- शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.) या इसके समकक्ष टीप :- प्रत्याशी के अन्यथा सुयोग्य होने पर सक्षम प्राधिकारी के चिक्के के आधार पर अभिलेखबद्ध लिखित कारणों से योग्यता शिथिलनीय है।	लागू नहीं	
(9)		(10)	(11)	
परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिम्से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	
02 वर्ष		सीधी भर्ती द्वारा टीप :- व्यक्ति के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी के कारण या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक लम्बी अवधि के लिये कार्य से अलग रहने के कारण रिक्त पद को नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र सरकार	लागू नहीं	

(10)

में समरूप पदधारी अपने मूल सर्वग/ विभाग में नियमित आधार पर कार्य करने वाले तथा कॉलम सात के अन्तर्गत उल्लिखित सीधी भर्ती के लिये शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखने वाले अधिकारियों में से भरा जा सकता है। (प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।)

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है

वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।

(12)

(13)

'ख' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण हेतु) :-

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

1. प्रधान सचिव/सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —अध्यक्ष
2. निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —सदस्य
3. अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव (शिक्षा) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —सदस्य
4. अनु. जाति/ अनु. ज. जाति समुदाय से संबंधित कोई अधिकारी जो दिल्ली सरकार में उप-सचिव के रैंक से कम न हो —सदस्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,  
सुरेश गुप्ता, अतिरिक्त सचिव

### DIRECTORATE OF EDUCATION

#### NOTIFICATION

Delhi, the 9th December, 2011

**F. DE 4(2)/286/E-IV/2003/17900.**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F. 27/59/11m., (1) dated the 13th July, 1959, and in supersession of this Government's Notification Nos. F. 2 (8)/83-S. II/9653-58 dated the 23rd Feb., 1984 & 27/1/96-Edn/1141 to 1145 dated 09-08-1996, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Physical Education Teacher in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Directorate of Education, Physical Education Teacher (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

**2. Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualifications.**—No person,—

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person.

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

##### Recruitment rules for the post of Physical Education Teacher under the Directorate of Education, Department of Education, Government of National Capital Territory of Delhi

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Physical Education Teacher	1370* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	GCS Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2 (Rs. 9300- 34800) + Grade Pay Rs. 4600	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions/ or order issued by the Central Government.)

**Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
<b>Essential :</b> Graduate with Bachelor's or Physical Education (B. P. Ed) or its equivalent.	Not applicable	2 years
<b>Note :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.		
Method of recruitment, whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and % age of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer from which promotion/deputation/transfer to be made	
(10)	(11)	
<b>By direct recruitment</b>	Not applicable	
<b>Note :</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department and possessing education qualification prescribed for direct recruits under column 7.		
(The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)		
If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	
(12)	(13)	
<b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation) :—</b>	Consultation with UPSC not necessary.	
1. Principal Secretary/ Secretary (Education) Govt. of NCT of Delhi	—Chairman	
2. Director (Education) Govt. of NCT of Delhi	—Member	
3. Additional Director/Additional Secretary/Joint Secretary (Education) Government of N.C.T. of Delhi	—Member	
4. An officer belonging to SC/ST Community not below the rank of Deputy Secretary in Govt. of NCT of Delhi	—Member	

By Order and in the Name of the I.T. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SURESH GUPTA, Addl. Secy.

4485 DG/11-2